उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 60 /एस0ई0ए0सी0/पाकालि/2018 दिनांकः 03-मार्च, 2018

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी,
एवं केस्को –कानपुर

विषय : डिस्काम के अंतर्गत रेड मैनेजमेन्ट एवं मानिटरिंग सेल (वितरण क्षेत्र स्तर पर) तथा फीडर इनर्जी ऑडिट सेल (वितरण मण्डल स्तर पर) बनाये जाने के सम्बन्ध में।

आप सभी अवगत हैं कि लाइन हानियों को कम करने एवं राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए फीडरवार इनर्जी ऑडिट किया जा रहा है जिसका विश्लेषण एवं डिस्काम/क्षेत्र/मण्डल/खण्डवार फीडर एटीएण्डसी हानियों के आंकड़े मेसर्स आरईसीपीडीसीएल द्वारा विकसित ऑनलाइन डैसबोर्ड पर उपलब्ध हो रहे हैं। इनर्जी ऑडिट में प्राप्त परिणाम के आधार पर फीडर की एटीएण्डसी हांनियों को कम करने एवं रेड की कार्यवाही को प्रभावी रूप से किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्यवाही में सहयोग एवं अनुश्रवण के लिए डिस्काम के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वितरण मण्डल) स्तर पर क्रमशः रेड मैनेजमेन्ट एवं मानिटरिंग सेल तथा फीडर इनर्जी ऑडिट सेल का गठन निम्नानुसार किया जाना है :–

1. **रेड मैनेजमेन्ट एवं मानिटरिंग सेल** – यह सेल प्रत्येक मुख्य अभियन्ता (वितरण) की अध्यक्षता में कार्य करेगी जिसमें वितरण क्षेत्र स्तर पर सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य), अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (आईटी) एवं क्षेत्र स्तर पर तैनात आरईसीपीडीसीएल के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। यह टीम मुखबिर से प्राप्त सूचनाओं तथा डाटा विश्लेषण से प्राप्त संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूचनाओं पर रेड की कार्यवाही एवं अधिक हांनियों वाले फीडर एवं क्षेत्रों में मास रेड की कार्यवाही हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही कराएगी। यह सेल कृत–कार्यवाही की सुसंगत सूचना की रेड–पोर्टल पर पृविष्टि सुनिश्चित कराएगी। इस सेल द्वारा रेड प्रकरणों में शमन एवं राजस्व निर्धारण की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा ससमय करवाना तथा रेड प्रकरणों के निस्तारण में समस्त कार्यवाहियों की ट्रैकिंग एवं लम्बित कार्यवाहियों का अनुश्रवण पर उन्हें पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
2. **फीडर इनर्जी ऑडिट सेल** – यह सेल प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) के नेतृत्व में कार्य करेगी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता (परीक्षण) एवं सहायक अभियन्ता (आईटी) सदस्य होंगे। इस सेल द्वारा इनर्जी ऑडिट के परिणामस्वरूप प्राप्त फीडरवार एटीएण्डसी हांनियों को कम करने हेतु कार्ययोजना तैयार की जाएगी तथा कार्ययोजना पर वितरण मण्डल के अधीन सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड एवं फीडर मैनेजर (अवर अभियन्ता) द्वारा कार्यवाही कराकर कृत–कार्यवाही (Action Taken Report) का मासिक अनुश्रवण किया जाएगा। इनर्जी ऑडिट सेल द्वारा वितरण मण्डल के फीडर इनर्जी ऑडिट का मासिक ट्रैक रखा जाएगा। अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा वितरण मण्डल में एटीएण्डसी हांनियों को कम करने हेतु फीडरवार कृत–कार्यवाही (Action Taken Report) के साथ ही एक एक्सेप्शन रिपोर्ट (जहां लाइन हानियां बढ़ गयी हों) भी तैयार की जाएगी जिसमें लाइन हांनियों में वृद्धि वाले फीडर मैनेजर के नाम के साथ अपनी टिप्पणी अंकित कर मुख्य अभियन्ता (वितरण) को कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएगी।

उक्त सेल से प्राप्त सूचना के आधार पर मुख्य अभियन्ता (वितरण) पूरे जोन में एटीएण्डसी हानियों को कम करने हेतु फीडरवार कृत–कार्यवाही (Action Taken Report) पर समीक्षा करने के उपरान्त अपने निष्कर्ष को वितरण खण्डवार तीन श्रेणियों अच्छे (Good), सामान्य (Fair) एवं असंतोषजनक (Unsatisfactory) में आकिलित करते हुए बिन्दु 1 एवं 2 पर आख्या प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निदेशक (वाणिज्य) डिस्काम एवं निदेशक (वाणिज्य) उ0प्र0 पाकालि को उपलब्ध कराएंगे। डिस्काम, इन आदेशों का अनुपालन प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायें।

Aparna U.
(अपर्णा यू0)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :
1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि।
2. निदेशक, वाणिज्य, उ0प्र0पा0कालि0।
3. मेसर्स आरईसीपीडीसीएल, नई दिल्ली।

C:\Users\Computer\Desktop\letters ,notesheets& minutes\Letter 2018.doc